1090

वीमेन पॉवर लाइन

एक परिचय

महिलाओं/लडकियों के साथ छेड़खानी की घटनाओं को यदि प्रभावी ढंग से समाज में रोका जाये, तो महिलाओं के प्रति हिंसा को बढने से रोका जा सकता है, हिंसा का स्वरूप घरेलू हिंसा हो दहेज हत्या, बलात्कार या फिर एसिड अटैक।

पुलिस, छेड़खानी जैसी शिकायतों को निरन्तर हल करने का प्रयास करती है परन्तु अधिकांश मामलों में महिलायें/लड़कियां शर्म के कारण अथवा छेड़खानी करने वाले पुरूषों के प्रभाव के डर से, पुलिस तक पहुंच ही नहीं पातीं। यदि पहुंचती हैं तो अपनी बात को सहजता से पुरूष कर्मियों को बता नहीं पातीं।

कार्य पद्धति

अतः उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक चौबीस घण्टे निरन्तर चलने वाले काल सेण्टर वीमेन पॉवर लाइन–1090 की स्थापना की गयी है। इस काल सेण्टर में 1090 नम्बर पर प्रदेश के किसी भी कोने से महिलायें/लड़कियां किसी भी वक्त काल करके अपने साथ होने वाली छेड़खानी की घटनाओं की शिकायत कर सकती हैं। जहां पीड़िता की पहचान गोपनीय रखी जाती है।

यहां तैनात पुलिस कर्मी अभद्र व्यवहार करने वाले पुरूष को फोन पर सम्पर्क करके परामर्श/चेतावनी देते हैं, जिससे अधिकांशतः व्यक्ति, पीड़िता को परेशान करना छोड़ देते हैं। जो परामर्श/चेतावनी को अनसुना करते हैं, उनके विरूद्ध पुलिस अपने विधिक अधिकारों का प्रयोग करके समुचित कार्यवाही करती है। पीड़िता से समस्या के पूर्ण समाधान तक फीडबैक लिया जाता है।

अधिकांशतः छेड़खानी की घटनायें मूल रूप से चार प्रकार से परिलक्षित हो रही हैं:–

(अ) फोन करके परेशान करना।

(ब) सोशल मीडिया या अन्य तरह के साइबर स्पेस में परेशान करना।
(उदहरणार्थ – फेसबुक, व्हाट्सएप्प, इ–मेल आदि)

(स) महिलाओं/लड़कियों का पीछा करना (स्टॉकिंग)।

(द) ऐसे स्थानों पर जहां महिलायें/लड़कियां अक्सर जाती हैं जैसे – कॉलेज, मार्केट आदि, वहां पर छेड़खानी के अड्डे बनना (हॉटस्पाट)।

{ (स) व (द) की सूचना 1090 द्वारा तत्काल सम्बन्धित जनपद पुलिस या यू0पी0 –112 को दे दी जाती है तथा इनके सहयोग में कार्यवाही की जाती है। }

शिकायत कब करें

- कोई व्यक्ति फोन के माध्यम से आपके साथ छेड़खानी या उत्पीड़न कर रहा हो।
- कोई व्यक्ति साईबर माध्यम जैसे–फेसबुक, व्हाट्सएप, ई–मेल के द्वारा आपके साथ छेड़खानी या उत्पीड़न कर रहा हो।
- कोई व्यक्ति आपका पीछा करता हो (स्टॉकिंग)।
- पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा सार्वजनिक स्थान जहां लड़कियों के साथ छेड़खानी की समस्या हो (छेड़खानी के हॉटस्पाट)।

(वीमेन पॉवर लाइन 1090 काल सेण्टर)

शिकायत कौन और कैसे दर्ज करें?

- पूरे उत्तर प्रदेश में कोई भी पीड़ित लड़की या महिला फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकती है।
- यदि महिला या लड़की स्वयं शिकायत दर्ज कराने में असमर्थ है, तो उसकी सहमति से, कोई अन्य महिला या लड़की, शिकायत की सूचना 1090 को दे सकती है।

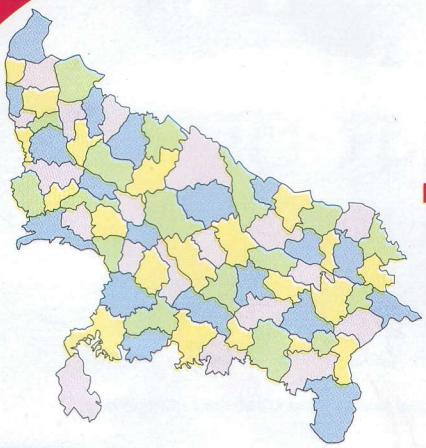

1090

1090 क्या करेगा?

पंजीकरण :

- शिकायतकर्ता की शिकायत, प्रशिक्षित महिला ऑपरेटर द्वारा ही संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ सुनकर दर्ज की जाती है।
- शिकायत दर्ज होने के उपरान्त उन्हें एस0एम0एस0 के माध्यम से शिकायत संख्या (रिफरेन्स नं0) उपलब्ध कराया जाता है, जिसके द्वारा भविष्य में वीमेन पावर लाइन से संपर्क कर सकती हैं।

काउन्सलिंगः

- दर्ज होने के उपरान्त शिकायत तत्काल काउन्सलिंग सेक्शन में स्थानान्तरित हो जाती है। जहां इसका निस्तारण प्रशिक्षित पुरूष कर्मियों द्वारा काउन्सलिंग के माध्यम से किया जाता है।

- दर्ज शिकायतों में पीड़िता/शिकायतकर्ता की पहचान काउन्सलिंग सेक्शन में भी गोपनीय रखी जाती है यानि कि काउन्सलिंग करने वाले पुरूष पुलिस कर्मियों को भी पीड़िता की पहचान सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। उन्हें केवल शिकायत व आरोपी का विवरण ही प्राप्त होता है, जिसके आधार पर काउन्सलर द्वारा आरोपी को अपने आचरण में सुधार करने हेतु परामर्श/चेतावनी दी जाती है।

एफ.एफ.आर. काउन्सलिंगः

- किसी आरोपी की दो बार काउन्सलिंग के उपरान्त न मानने पर यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें आरोपी के मोबाइल नम्बर की इलेक्ट्रानिक डिटेल के आधार पर उसके परिवार वालों, दोस्तों एवं रिश्तेदारों के माध्यम से आरोपी को महिला सम्बन्धी अपराध न करने के सम्बन्ध में हिदायत दी जाती है तथा आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाने में आरोपी एवं उसके परिवार वालों को बुलाकर उनके माध्यम से भी समझाया जाता है एवं आवश्यकतानुसार वैधानिक कार्यवाही करायी जाती है।

हार्ड केसेज :

- ऐसी शिकायतें जिसमें एफ0एफ0आर0 काउन्सलिंग के उपरान्त भी आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, उन्हें हार्ड केस माना जाता है। इस श्रेणी में वह शिकायतें भी रखी जाती हैं, जिसमें किसी मोबाइल नम्बर धारक के विरूद्ध 1090 में अनेकों शिकायतें दर्ज होती हैं। ऐसी शिकायतों में आरोपी का इलेक्ट्रानिक सर्विलांस के माध्यम से पूरा विवरण प्राप्त कर सम्बन्धित थाने में रिपोर्ट प्रेषित करके प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जाती है तथा 1090 की विशेष टीम एवं सम्बंधित थाने के सहयोग से अभियुक्त को गिरफ्तार कराया जाता है।

एक्टिव स्टॉकिंग :

- किसी स्थान विशेष पर पीछा करना या छेड़खानी सम्बन्धी घटना की सूचना प्राप्त होने पर कालटेकर द्वारा शिकायत दर्ज होने के उपरान्त 1090 के काउन्सलर्स और शिफ्ट प्रभारी द्वारा तत्काल 1090 एप्प एवं फोन के माध्यम से यू. पी. –112 एवं सम्बन्धित थाने को सूचना दी जाती है तथा त्वरित कार्यवाही करते हुए पीड़िता को मदद पहुंचायी जाती है एवं 24 घण्टे बाद पुनः निरीक्षक कालटेकिंग/पुलिस उपाधीक्षक द्वारा पीड़िता से बात कर फीडबैक लिया जाता है।

  एक्टिव स्टॉकिंग का एस.एम.एस. अलर्ट सम्बन्धित उच्चाधिकारियों के सी.यू.जी. मोबाइल पर भी प्रेषित होता है।

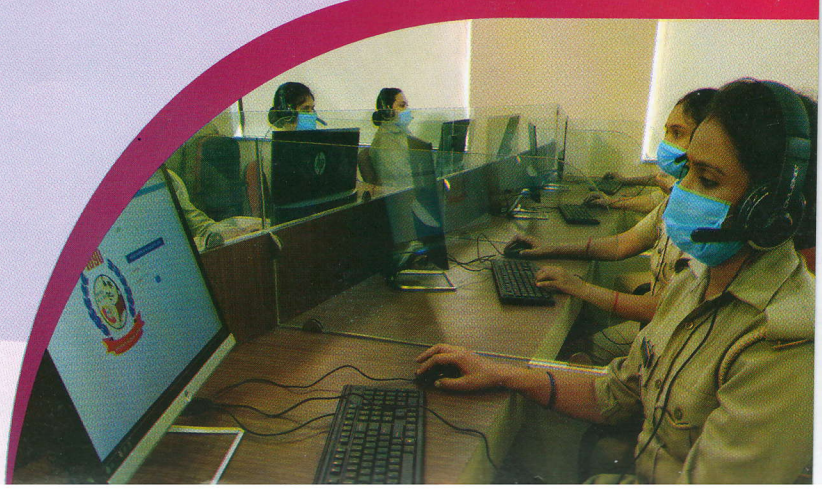

साइबर अपराध सम्बन्धी शिकायत

साइबर सम्बन्धी प्रकरण में आरोपी द्वारा दुरूपयोग किये जाने वाले माध्यम जैसे–फेसबुक, वेबसाइट को भी औपचारिक सूचना देकर, आपत्तिजनक सामग्री को भी हटवाया जाता है तथा आरोपी की पूर्णतया पहचान करके आवश्यक विधिक कार्यवाही भी करायी जाती है।

फीडबैक

वीमेन पॉवर लाइन–1090, समस्या के निस्तारण तक, पीड़िता के सम्पर्क में रहती है। प्रथम फीडबैक 24 घण्टे में और अन्तिम फीडबैक 30 दिन के बाद लिया जाता है।

थर्ड पार्टी असेसमेन्ट

1090 पर दर्ज शिकायतों का निष्पक्ष एजेन्सी यूनिसेफ की प्रतिनिधि द्वारा थर्ड पार्टी असेसमेन्ट कराया जा रहा है। इससे शिकायतों के निस्तारण का सही आकलन होता है तथा इससे इकाई की विश्वसनीयता भी बढ़ती है।

1090

Women Power Line

उत्तर प्रदेश के, हर गाँव, हर शहर में, एक ही नम्बर

1090

वीमेन पॉवर लाइन

Contacts

1090 Circle, Lohia Path, Lucknow

0522-2205790

poweragent@gmail.com

@wpl1090

www.wpl1090up.in